राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1744/2015..... जिला .....झुन्झुनूं.....

उनवान : मैसर्स अनुराग एन्टरप्राईजेज, खेतड़ीनगर, झुंझुनूं

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झुंझुनूं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा./बीका./स्थगन/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 09.10.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के दौरान अवार्डर एफ.डी.डी.आई., जोधपुर द्वारा जारी कार्यादेश के पेटे प्राप्त राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की राशि दर्शाई गई है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कार्यादेश पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता निर्धारित की गयी है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आदेश दिनांक 24.06.2015 पारित करते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क का निर्धारण किया जाकर कुल मांग रूपये 34,20,057/– सृजित की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2015 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए बकाया मांग/वसूली योग्य राशि रूपये 34,20,057/– पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज व केनाल्स से सम्बन्धित कार्य संविदाओं पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता निर्धारित की गयी है। तदनुसार ही अपीलार्थी द्वारा मुक्ति शुल्क की राशि दर्शायी गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के 3 प्रतिशत की देयता मानते हुए तदनुसार मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1744/2015..... जिला .....झुन्झुनूं.....

उनवान : मैसर्स अनुराग एन्टरप्राईजेज, खेतड़ीनगर, झुंझुनूं

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, झुंझुनूं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2015	इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि स्वयं अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9726/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2012 एवं उक्त आदेश के विरूद्ध डी.बी. के समक्ष प्रस्तुत सिविल अपील संख्या 710/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2014 में हस्तगत अवार्डर द्वारा जारी कार्यादेश पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता निर्धारित की गयी है। उक्त आदेशों के अनुसरण में ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश पारित करते हुए तदनुसार मुक्ति शुल्क का निर्धारण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों के अनुसरण में अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 10.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 10.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	